रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 23, 1984/वैशाख 3, 1906

No. 125] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 23, 1984/VAISAKHA 3, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 23 अप्रैल, 1984

का० आ० 299(अ):—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 ( 1940 का 23) की द्वितीय अनुसूची का और संशोधन करने के लिए कुछ प्रारूप संशोधनों, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) और धारा 16 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) की अधिसूचना सं० का० आ० 707 (अ) तारीख 16 सितम्बर, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 सितम्बर, 1983 के पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित किए गए थे, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसे राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त संशोधन समाविष्ट थे तीन मास की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त राजपत्र 30 सितम्बर, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है।

अतः, अब, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 ( 1940 का 23) की धारा 8 और 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 ( 1940 का 23) की द्वितीय अनुसूची का निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :—

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 ( 1940

का 23) की द्वितीय अनुसूची में :—

(1) क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात :—

| | |
|---|---|
| "2. मानव या पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए साधारणतया वैक्सीन, सीरा, टाक्सिन, टाक्साइड, टाक्सिन रोधी और एण्टिजन के रूप में ज्ञात पदार्थ और उसी प्रकार के जैव उत्पाद। | इंटरनेशनल लेबारेटरी फार बायोलोजिकल स्टेन्डर्डस, स्टैन्टेन्स, सीरम-इंसटीट्यूट कोपनहैगन में और सेंट्रल वैटरिनरी लेबोरेटरी, वेब्रिज सुरे, यूनाइटेड किंगडम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में अनुरक्षित मानक और शक्ति क्वालिटी और शुद्धता के ऐसे अतिरिक्त मानक जो विहित किए जाएं।" |

(2) क्रम सं० 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[सं० एस०-11014/6/83-डी० एम० एस० एंड पी० एफ० ए०]
एस० वी० सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1984

**GSR 299(E)**—Whereas certain draft amendments further to amend the Second Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) were published as required by sub-section (2) of section 8 and sub-section (2) of section 16 of the said Act at pages 1-2 of the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 16th September, 1983, under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 707(E) dated the 16th September, 1983, inviting objection and suggestions from all person likely to be affected thereby before the expiry of a period of three months from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said amendments were made available to the public,

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 30th September, 1983;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 8 and 16 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following amendments to the Second Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), namely:—

In the Second Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940):—

(i) For serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:—

| | |
|---|---|
| "2. Substances commonly known as vaccines, sera, toxins, toxoids, antitoxins and antigens and biological products of like nature, for human use or for veterinary use. | The standards maintained at the International Laboratory for Biological Standards, Stantans Serum Institute, Copenhagen and at the Central Veterinary Laboratory, Weybridge Surrey, U.K., and such other laboratories recognised by the World Health Organisation from time to time, and such further standards of strength, quality, and purity, as may be prescribed."; |

(ii) Serial number 3 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. X.11014/6/83-DMS&PFA]
S.V. SUBRAMANIYAN Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PU LICATIONS, DELHI-110054, 1984